अध्याय-आठ

विधान सभा के स्थानों का त्याग और रिक्ति.

सदन के स्थानों का त्याग.

89. (1) नियमावाली के नियम 276 के अधीन त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार कर लिये जाने पर ही प्रभावशील होगा.

(2) त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि वह त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाये तथा किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वह त्यागपत्र को अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् वापस ले सके.

(3) यदि सदस्य ने उसका त्यागपत्र प्रभावशील होने के लिए कोई भावी तारीख विनिर्दिष्ट की हो तो वह त्यागपत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई तारीख से प्रभावशील होगा यदि अध्यक्ष ने वह त्यागपत्र उस तारीख तक स्वीकार कर लिया हो.

(4) त्यागपत्र, उस तारीख से, जिसको कि वह अध्यक्ष को मिला हो या विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ हो, पूर्व की किसी तारीख से स्वीकार नहीं किया जायेगा.

(5) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है, सदन को यदि वह सत्र में है, तुरन्त रिपोर्ट किया जायेगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत् होने के तुरन्त पश्चात् सूचित किया जायेगा.

(6) प्रत्येक विनिश्चय पत्रक में प्रकाशित किया जायेगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा तथा सचिव, उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और छत्तीसगढ़ शासन को अग्रेषित करेगा.